[न्]यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

[पी]ठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
[रा]जस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 41/2019
[R]CMS NO. : 2019/00082

–:: प्रार्थी ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. मुकेश कुमार पुत्र रामनिवास जाति– दायमा ब्राह्मण, निवासी– प्रतापपुरा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।		1. रामनिवास पुत्र सत्यनारायण जाति– दायमा ब्राह्मण, निवासी– प्रतापपुरा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली। 2. तहसीलदार जैतारण, तहसील जैतारण, जिला पाली। 3. किशोरराम पुत्र बगदाराम 4. चैनाराम पुत्र बगदाराम 5. प्रेमाराम पुत्र बगदाराम जातियान– जाट, निवासीगण– आ0कालू, तहसील– जैतारण।

[रा]जस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू: 13/03/2019**

उपस्थितः 1. श्री महेन्द्र प्रजापत बलुन्दा, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

दिनॉकः 25/03/2021

–:: निर्णय ::–

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा आनन्दपुर कालू प्रथम व पटवार हल्का आनन्दपुर कालू चक प्रथम, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में गैरसायलान संख्या एक की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 987/1 रकबा 15–02 बीघा किस्म बारानी दोयम है। जिसकी वर्तमान जमाबन्दी की नकल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावें। उपरोक्त आराजी गैरसायलान संख्या एक की पैतृक पुश्तैनी है तथा उक्त आराजी मे गैरसायलान संख्या एक के पिता एवं सायल के दादा सत्यनारायणजी को दतक पुत्र के तौर पर मिली हुई है। इस प्रकार उक्त आराजी मे सायल का भी जन्मतः हक हिस्सा पैदा हो गया है। उक्त आराजी सायल के दादा सत्यनारायण को उनकी काकी अयोध्यादेवी पुत्री हरीशंकर द्वारा वसीयत की गई [illegible] लेकिन तत्कालीन समय में अयोध्यादेवी के फौत होने के बा[द] [illegible] नाम का नामान्तरणकरण नही करवा पाये तथा सत्यनारायणजी के बा[द] [illegible] मृत्यु हो गयी तथा सत्यनारायण जी के जायन्दा पुत्र गैरसायलान् संख्या एक रामनिवास व नंदकिशोर के नाम सीधा नामान्तरणकरण हुआ जो नामान्तरणकरण संख्या 1427 दिनांक 10/11/2000 है। जिसकी प्रमाणित प्रति प्रार्थनापत्र के साथ पेश है । इस प्रकार रामनिवास व नंदकिशोर की खातेदारी चली आ रही थी जो जमाबन्दी संवत 2054 से 2057 से स्पष्ट साबित है। जिसकी प्रमाणित प्रति भी प्रार्थनापत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

साथ पेश है। नंदकिशोर द्वारा अपने 1/2 हिस्से की जमीन का बेचान नारायणलाल पुत्र गुदडराम कौम माली को कर दिया है तथा शेष 1/2 हिस्से मे गैरसायलान् संख्या एक रामनिवास का नाम खातेदारी मे चल रहा है जो वर्तमान जमाबन्दी संवत 2074 से 2071 से स्पष्ट साबित है। जिसकी प्रमाणित प्रति प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। गैरसायलान् संख्या एक रामनिवास का अपने पैतृक गांव आ0कालू मे वादग्रस्त कृषि भूमि आ0कालू से खराडी जाने वाली कच्ची सडक पर आयी हुई है जो कीमती है तथा इसके अलावा रहवासीय पक्का मकान भी बनाया हुआ है जो किराये पर दे रखा है तथा गैरसायलान् संख्या एक अपना गांव छोडकर लम्बे समय से नयागांव प्रतापपुरा मे आकर बस गया है तथा गांव वालो ने मिलकर रामनिवास को आवास व रहवास के लिये जमीन दी है जिस पर पक्का मकान बना रखा है इसके अतिरिक्त कृषि भूमि भी गैरसायलान् संख्या एक के पास नयागांव प्रतापपुरा मे है। गैरसायलान् संख्या एक रामनिवास का सायल मुकेशकुमार एक मात्र जायन्दा पुत्र है तथा दो पुत्रीयां है। गैरसायलान् संख्या एक रामनिवास ने सायल का सम्बन्ध अपनी एक पुत्री के आटे साटे मे कर रखा है जिस सम्बन्ध मे सायल की बहिन जयश्री भोली होने के नाते अपने ससुराल नही जा पा रही है तथा सायल की माता ने अपनी पुत्री को दुष्प्रेरित कर रखा है गैरसायलान् संख्या एक स्वभाव से भोलाभाला है एवं घर मे एक मात्र कर्ताधर्ता सायल की माता संतोषदेवी ही है ऐसी स्थिति मे सायल की माता ने जबरदस्ती अपने पति गैरसायलान् संख्या एक रामनिवास को दुष्प्रेरित करके जमीन का बेचान कर सायल को उसके हक हिस्से से महरुम करना चाहती है। ऐसी स्थिति मे सायल को मानसिक व शारीरिक रूप से सायल की माता संतोषदेवी व गैरसायलान् संख्या एक द्वारा प्रताडित किया जा रहा है। गृहक्लेश सायल के माता द्वारा पैदा कर दिया गया है तथा सायल की माता एवं गैरसायलान् संख्या एक मिलकर दिनांक 23/02/2019 को ऐलानिया धमकी दी कि हम तुझे जमीन से महरुम करने के उदेश्य से तथा जमीन मे गैरसायलान् संख्या एक रामनिवास का नाम खातेदारी होने से बाले बाले जमीन का बेचान किसी अजनबी केता को करके चौन की सांस लेगे व तुझे पैतृक पुश्तैनी भूमि से बेदखल कर दुगी। अगर सायल की माता अपने पति गैरसायलान् संख्या एक को अपने बहकावट व सिखावट मे लेकर उक्त पैतृक पुश्तैनी भूमि का किसी अन्य अजनबी केता को बेचान हस्तान्तरण आदि कर देते है एवं सायल को उसके हक हिस्से की जमीन से बेदखल कर देते है तो सायल को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी एवं सायल अपने पैतृक पुश्तैनी जमीन के हक हिस्से से हमेशा हमेशा के लिये महरुम हो जायेगा एवं सायल उक्त गैरसायलान् ... विरोध करेगा तो मौके पर वाद विवाद होगा एवं ... जिससे विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी एवं पेचीदगिया बढ़ेगी। इसलिए ... परिस्थितियो मे सायल के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र सायल द्वारा बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का गैरसायलान् के विरुद्ध श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है। गैरसायलान् संख्या 1 द्वारा अपनी पत्नी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

बहकावट सिखावट मे आकर बाले बाले इस जमीन का बेचान किसी अजनबी क्रेता के पक्ष में करने के लिये गैरसायलान् संख्या दो के समक्ष कोई बेचान हस्तान्तरण का दस्तावेज पंजियन हेतु पेश करे तो गैरसायलान् संख्या दो उसका पंजीयन नही करे। अगर कोई पंजीयन कर देवे तो तहसीलदार जैतारण उस अजनबी क्रेता के नाम म्युटेशन पारित नही करे ऐसा करने के लिये गैरसायलान् संख्या दो को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे। तथ्यो, परिस्थितियो एवं मौके पर कब्जा तथा उपयोग उपभोग से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से सायल के पक्ष मे है यदि गैरसायलान् संख्या एक अपनी पत्नी संतोषदेवी के बहकावट व सिखावट मे आकर विवादग्रस्त भूमि का किसी अन्य अजनबी केता को बेचान हस्तान्तरण कर देता है एवं सायल को उसके कब्जे से बेदखल कर देता है तो सायल को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी एवं सायल अपनी पैतृक पुश्तैनी भूमि से हमेशा हमेशा के लिये महरुम हो जायेगा तथा सायल गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो का विरोध करेगा तो मौके पर वाद विवाद होगा एवं विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी व पेचीदगिया बढ़ेगी इसलिए गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्य को रोके जाने बाबत् यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक मे वर्णित खसरा नम्बर 987/1 रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा मे से गैरसायलान् संख्या एक के 1/2 हिस्से की कृषि भूमि का गैरसायलान् संख्या एक बाले बाले किसी अजनबी केता को बेचान रहन, बक्सीस व अन्य हस्तान्तरण नही करे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे तथा सायल उक्त भूमि मे से अपने हक हिस्से की भूमि मे काश्त व काश्त मुतालिक कुल कार्य करे या करावे तो उसमे गैरसायलान् संख्या एक व उसके परिवार के सदस्य रिश्तेदार नातेदार नौकर चाकर हाली एजेन्ट आदि किसी प्रकार से दखल व दस्तन्दाजी नही करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे एवं वर्तमान मौके एवं राजस्व रेकर्ड की स्थिति को यथावत् रखी जावे। कि दौराने प्रार्थनापत्र गैरसायलान् संख्या एक बाले बाले उक्त भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत अन्य हस्तान्तरण कर देवे तो गैरसायलान् के खर्चे से प्रार्थनापत्र प्रस्तुती की स्थिति को बहाल करवाई जावे। यह है कि प्रार्थनापत्र की रुह से अन्य कोई सहायता हो तो सायल के पक्ष मे अंताः फरमावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से [illegible]नामा पेश हुआ जो सा0मि0 है। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश [illegible] कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 का जवाब है कि [illegible] आराजी खसरा नम्बर 987/1 में जवाब देहन्दा का 1/2 हिस्सा [illegible] था जिसमें से जवाब देहन्दा ने अपने 1/2 हिस्सा में से 121/151 वां हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैचान के बैचान कर दिया। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 का जवाब है कि उक्त वादग्रस्त सम्पति जवाब देहन्दा के हक अधिकार की थी तथा जवाब देहन्दा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

...की पत्नि दोनो बुजुर्ग है। उनके खाने कमाने की स्थिति नही होने से इन्होने अपने हक हिस्से की भूमि का बैचान किया है, न की सम्पूर्ण भूमि का बैचान किया है तथा जवाब देहन्दा का मौके पर कब्जा काश्त रहा था सायल सायल का उक्त सम्पति मे कोई हक अधिकार नही है, क्योकि सायल ने अपने माता पिता के प्रति दायित्वो का निर्वहन नही किया तथा उक्त सम्पति पुश्तैनी सम्पति नही है तथा जवाब देहन्दा के जीवित रहते सायल का उक्त सम्पति मे कोई हक अधिकार नही बनता है, क्योकि वादग्रस्त सम्पति मे जवाब देहन्दा रेकर्ड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 का जवाब है कि वादग्रस्त सम्पति मे जवाब देहन्दा का 1/2 हिस्सा निहित था। जिसमे से 121/151 वॉ हिस्से का बैचान कर दिया। इस भूमि पर आज भी क्याद देहन्दा काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा सायल वादग्रस्त सम्पति पर आउट अॉफ पजेशन है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या का जवाब है कि जवाब देहन्दा के पास वादग्रस्त सम्पति के अलावा अन्य कोई सम्पति नया गांव मे नही है तथा जवाब देहन्दा अपने पत्नि के साथ नया गांव मे एक किराये के मकान मे रहता है तथा जो पुश्तैनी मकान है उस पर सायल ने कब्जा कर रखा है। तथा सायल जवाब देहन्दा का कोई भरण पोषण इत्यादि नही कर रहा है। इस कारण से मजबूरन जवाब देहन्दा ने अपने हक हिस्सा की भूमि का बैचान करना पड़ा तथा सायल के अलावा भी जवाब देहन्दा की सम्पति पर अन्य लोगों का भी हक अधिकार है तथा सायल स्वयं जवाब देहन्दा व उसकी पत्नि को प्रताड़ित कर रहा है। मौके पर वादग्रस्त सम्पति मे सायल आउट ऑफ पजेशन है तथा दिनांक 23.02.2019 को ऐलानिया धमकी देने के कथन सायल ने झूठे अंकित किये है। जबकि सायल एवं जवाब देहन्दा दोनो अलग अलग निवास करते है। सायल के पास अन्य सम्पतियाँ के लिये सायल स्वयं सक्षम है और यदि सायल इस प्रार्थना पत्र की आड़ मे जवाब देहन्दा को बेदखल करता है तो अपूर्णीय क्षति जवाब देहन्दा को होगी। इन तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 का जवाब है कि वादग्रस्त सम्पति जवाब देहन्दा के मालिकाना हक की है। जिस पर जवाब देहन्दा काबिज होकर काश्त करता है और उसे अपने हक अधिकार की आराजी को अपने जायज जरूरत हेतु बैचान करने का पूर्णतया हक अधिकार है। सायल को किसी तरह का बैचान रूकवाने का कोई कानूनी अधिकारी नही है तथा रेकर्ड खातेदार के विरुद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। - यह है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 का जवाब है कि समस्त तथ्यो परिस्थितियो दस्तावेजात शपथ पत्र व मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर प्रथम दृष्टया [illegible] सुविधा का सन्तुलन सायल के बजाय जवाब देहन्दा के पक्ष मे [illegible] तथा वादग्रस्त सम्पति पर कब्जा काश्त गैरसायल संख्या 0[illegible] [illegible] संख्या 01 विवादित सम्पति का मालिक है तथा उसका नाम राजस्व रेकर्ड मे अंकित है और यदि सायल जबरदस्ती लाठी के बल पर गैरसायल की सम्पति मे हस्तक्षेप करता है या इस प्रार्थना पत्र की आड़ मे कोई गैर कानूनी कृत्य करता है तो अपूर्णीय क्षति सायल के बजाय गैरसायल को होगी तथा गैरसायल इस सम्पति का रेकर्डेड

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तेदार काश्तकार है। इसलिये एक खातेदार के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति अस्थाई षेधाज्ञा प्राप्त नही कर सकता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान वादग्रस्त सम्पति का मालिक है व सायल का उक्त सम्पति में कोई हक अधिकार नही है तथा सायल आउट ऑफ पजेशन है। इसलिये सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनते हुए उस पर मनन किया। प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः–

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनते हुए उस पर मनन किया। प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः–

1. ***प्रथम दृष्टया मामला*** :– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादगस्त आराजी में पैतृक पुश्तैनी आधार पर जन्म से खातेदारी अधिकार निहित होनें के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् वाद प्रस्तुत किया जो न्यायालय हाजा में जैरकार है। चुंकि वादी प्रतिवादी संख्या 01 रामनिवास की संतान है, अतः प्रकरण में प्रथम दृष्टयां मामला वादी/प्रार्थी के पक्ष में निहित होना पाया जाता है।

2. ***सुविधा का सतुंलन*** :– चुंकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निहित होना साबित हुआ है तथा प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त पैतृक पुश्तैनी आराजी में जन्म से निहित अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु दावा प्रस्तुत किया है। अतः सुविधा का सतुंलन वादी/प्रार्थी के पक्ष में निहित होना पाया जाता है।

3. ***अपूर्णनीय क्षति*** :– चुंकि उपर्युक्त दोनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित हुये है साथ ही भू–अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त आराजी में से पूर्व में पंजीकृत बैचान संख्या 201902224002685 दिनांक 10.06.2019 द्वारा वादग्रस्त आराजी में से 06–01 बीघा का बैचान किया है। यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द नहीं किया जाता है तो यह पूर्ण आशंका है कि उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी का हस्तान्तरण किया जा सकता है तथा ऐसा होनें पर वाद में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होगी एवं विलम्ब होगा। जिससे प्रत्यक्ष रूप प्रार्थी प्रभावित होगा। अतः यह स्पष्ट है कि यदि प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कि जाती है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार [illegible] है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को [illegible] बेचान, हस्तान्तरण न करनें हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से निरुद्ध किया जाना विधि सं[illegible] एवं आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:17 IST
Reason: SelfAttested

–: ***आदेश*** :–

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

षेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला ाद वादग्रस्त सरहद मौजा आनन्दपुर कालू प्रथम व पटवार हल्का आनन्दपुर कालू क प्रथम, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू तहसील जैतारण जिला पाली ाज0 के खसरा नम्बर 987/1 रकबा 15-02 बिस्वा का रहन, बैचान व स्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू-अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 25/03/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:17 IST
Reason: SelfAttested